रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237067
CG-DL-E-05072022-237067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2889] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944
No. 2889] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का. आ. 3037(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात, उप–कलक्टर (भूमि अर्जन), सूर्या परियोजना, डहाणु, आईडीबीआई बैंक के सामने, इरानी रोड, डहाणु, पालघर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाऐंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रुप सें या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला– पालघर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	गट संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	पालघर	पालघर	सरतोडी	187	–––	0.1750
(2)	पालघर	पालघर	करवाले	83	49 भाग	0.3500
				19	55 भाग	0.0700
				19	57 भाग	0.0400
				19	61 भाग	0.0400
				18	64 भाग	0.0150
				80	65 भाग	0.0500
				36	69 भाग	0.0800
				47/3	84 भाग	0.0500
				46/6	87 भाग	0.0500
				48	88 भाग	0.0700
				49	89 भाग	0.0500
				56	92 भाग	0.2500

[फा. सं. 2022/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2321]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

S. O. 3037(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector (Land Acquisition), Surya Project, Dahanu, Opp. IDBI Bank, Irani Road, Dahanu, Palghar, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project of Western Dedicated Freight Corridor in Palghar district in the State of Maharashtra.

District- Palghar

Serial Number	**Name of District**	**Taluka**	**Name of Village**	**Survey Number**	**Gut Number**	**Area in Hectares**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
(1)	Palghar	Palghar	Sartodi	187	-----	0.1750
(2)	Palghar	Palghar	Karwale	83	49 Part	0.3500
				19	55 Part	0.0700
				19	57 Part	0.0400
				19	61 Part	0.0400
				18	64 Part	0.0150
				80	65 Part	0.0500
				36	69 Part	0.0800
				47/3	84 Part	0.0500
				46/6	87 Part	0.0500
				48	88 Part	0.0700
				49	89 Part	0.0500
				56	92 Part	0.2500

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2321]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.05 16:43:38 +05'30'